ALFAVISION OVERSEAS INDIA LTD.

Date: August 19th, 2025

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 531156
Trading Symbol: ALFAVIO

Sub: Newspaper Advertisement-Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30th, 2025.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30th 2025, published on 15th August, 2025 in the newspaper "Global Herald."

These are also being made available on the Company's website at www.alfavisionoverseasindia.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Alfavision Overseas (India) Limited

DEVI DAYAL
Digitally signed by DEVI DAYAL
Date: 2025.08.19 19:30:16 +05'30'

Devi Dayal
Company Secretary
& Compliance Officer

(CIN : L67120MP1994PLC008375)
135, Old Gauri Nagar, Indore-452010, Madhya Pradesh, India alfavision@rediffmail.com I
www.alfavisionoverseasindia.com I Tele: 0731-2993649

डॉग लवर्स सड़कों पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भड़का गुस्सा

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

दिल्ली की सड़कों से लाखों कुत्तों को शेल्टर हाउस में शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने देशभर में गुस्सा भड़का दिया है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रेटी तक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में डॉग लवर्स लगातार प्रदर्शन कर कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर हाउस में न भेजा जाए। इसी कड़ी में गुरुवार को इंदौर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां सैकड़ों डॉग लवर्स ने रीगल स्क्वैयर पर हाथों में तख्तियां लेकर कुत्तों को बचाने की गुहार लगाई। कल 15 अगस्त के दिन पलासिया पर शांति पूर्ण सभा होगी और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। वैक्सिनेशन में प्रशासन की नाकामी पर सवाल डॉग अधिकारों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट और एनजीओ संचालिका प्रियांशु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुत्तों की समस्या का हल नहीं है। उन्होंने सुझाव



आज पलासिया पर शांति पूर्ण विरोध

इंदौर के पशुप्रेमियों द्वारा आई लव इंदौर पॉइंट (पलासिया) पर इंदौर शहर को डॉग्स के प्रति जागरूकता और सरकार से डॉग रूल 2023 को लागू कराने के लिए एक आम जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे होने वाली इस सभा में शहर के सभी वर्ग के लोग, पशुचिकित्सक, पशुप्रेमी, महिला बच्चे पुरुष आदि उपस्थित होकर जीवहित में जीव विषय पर शांतिपूर्ण समर्थन दिया जाएगा। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली एनसीआर डॉग्स को शेल्टर में रखने आदेश के सभी पक्षों को लोगों को समझाया जाएगा।

दिया कि कोर्ट को अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि डॉग समाज का हिस्सा हैं और शेल्टर हाउस में भेजे जाने से उनका जीवन कठिन हो जाएगा। प्रदर्शन में शामिल उज्जवल स्वामी और अन्य डॉग लवर्स ने आरोप लगाया कि प्रशासन कुत्तों के वैक्सिनेशन में पूरी तरह विफल रहा है। उनका कहना था कि यदि सही वैक्सिनेशन और भोजन की व्यवस्था हो तो डॉग इंसानों के बेहतरीन साथी बन सकते हैं।

हिंसा और दुर्व्यवहार का मनोवैज्ञानिक असर

डॉग लवर कुणाल सिंह ने बताया कि कुत्तों के साथ होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और दुत्कारने से उन पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। कई बार उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता, जिससे वे हिंसक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब लगभग 50 लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो कुत्ते इंसानों पर भरोसा नहीं कर पाते और अच्छे इरादे से पास आने वाले को भी काट लेते हैं। डॉग लवर सरिता मेहता ने कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कुत्तों की समस्या का समाधान उन्हें शहरों से हटाना नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि दिल्ली से कुत्ते हटा दिए जाते हैं, तो गाजियाबाद जैसे नजदीकी इलाकों से लाखों कुत्ते दिल्ली पहुंच जाएंगे और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, लखनऊ, बैंगलोर सहित कई शहरों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं।

हस्ताक्षर अभियान चलेगा

एनिमल लवर भावना जादौन ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान लोगों से उनकी राय लेकर उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। कम्युनिटी एनिमल्स के हित में पोस्टर बैनर लगाकर और पर्चे बांटकर लोगों को समाज और धर्म में जीवों की उपयोगिता बताई जाएगी। यह एक शांति पूर्ण सभा होगी (प्रोटेस्ट नहीं) क्योंकि डॉग्स बोलते नहीं। उन्हें आरोपी बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 79 स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के कम्युनिटी डॉग्स को अजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। उसकी अपील के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा।

जल संसाधन मंत्री सिलावट ने प्रदेशवासियों को दीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड



जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि स्वतंत्रता के पावन अवसर पर हम अपने उन अमर शहीदों एवं देशभक्तों को याद करें, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में पानी की हर बूंद का संरक्षण और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा तेज गति से बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश वासियों से आह्वान किया है कि आज के पावन दिन देश की एकता और अखंडता के साथ ही देश एवं प्रदेश के विकास में अपना हर संभव योगदान देने का संकल्प लें। जय हिंद।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोडो रुपये की ठगी करने वाला एक शातिर आरोपी गिरफ्तार

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर कमिश्नरेट में हो रही शेयर ट्रेडिंग एवं धोखाधडी की घटना के आरोपियों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में शहर में अपराध पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की दिशा निर्देशन में क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा शेयर ट्रेडिंग एवं धोखाधडी संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए आवेदक प्रतिक खंडेलवाल पिता श्री राजु खंडेलवाल उम्र 36 साल नि.1402 टावर सी ओमकार अल्टामांड मालाड ईस्ट मुम्बई को अनलिस्टेड कंपनी एरऊ के 75000 शेयर बेचने के नाम पर कुटरचित दस्तावेज बनाकर , धोखाधडी कर आरोपी अभिषेक भट्ट पिता अशोक कुमार भट्ट निवासी उम्र 40 साल नि. 101 कलाकृति एवेन्यू ,70 चिकित्सक नगर इंदौर द्वारा द्वारा करीबन 2,21,00,000/- (दो करोड, इक्कीस लाख रुपये) की ठगी की गई। कार्यवाही करते हुए थाना अपराध शाखा पर अपराध क्रमांक 146/2025 धारा 318(4), 338,336 (3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना आरोपी उपरोक्त अभिषेक भट्ट को गिरफ्तार किया गया हैं आरोपी ने पूछताछ में उक्त घटना को करना स्वीकार किया है। आरोपी से अभी और पूछताछ की जा रही है जिसमें और भी ठगी वारदातों के खुलासा होने की भी संभावना है। आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।



पुलिस कमिश्नरेट का हर घर तिरंगा – हर घर स्वच्छता अभियान

हार्ले डेविडसन ग्रुप की तिरंगा बाइक रैली को एडिशनल कमिश्नर इंदौर ने फ्लैग ऑफ कर, दिया सभी को पूरे गौरव और सम्मान के साथ तिरंगे को फहराने का संदेश

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड



हमारे देश की आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर देश की आन-बान-शान के प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगे को पूरे गौरव व सम्मान के साथ देशभर में हर घर पर फहराया जाए, और स्वतंत्रता का ये महापर्व स्वच्छता का भी पर्व बनें इसी को ध्यान में रखते हुए देशवासियों को देशभक्ति की भावना से जोडने और उन्हें देश की आजादी व स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से शासन के निदेशानुसार, हर घर तिरंगा - हर घर स्वच्छता अभियान का आयोजन 11 से 15 अगस्त तक किया जा रहा है।

इसी परिपेक्ष्य में पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनाक 14.08.25 को आयोजित कार्यक्रम-

पलासिया चौराहे स्थित आई लव इंदौर प्वाइंट से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने झंडा दिखाकर हार्ले डेविडसन टाइगर ग्रुप की तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। ये रैली पलासिया से विभिन्न मार्गों से होती हुई भंवरकुआ चौराहे पर खत्म हुई। इस दौरान मोटरसाइकिल चालको ने तिरंगे झंडे गाड़ी पर लगाकर सभी को पूरे गौरव और सम्मान के साथ तिरंगे को फहराने का संदेश दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त क्राइम श्री राजेश दंडोतिया व अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।

■ पुलिस थाना एमआईजी क्षेत्रान्तर्गत पुलिस व नगर सुरक्षा समिति सदस्यों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें एडिशनल डीसीपी जोन-02 श्री अमरेंद्र सिंह, एसीपी सुश्री हिमानी मिश्रा व थाना प्रभारी श्री सी बी सिंह सहित पुलिस बल व नगर सुरक्षा समिति सदस्यों ने तिरंगे हाथ में लेकर आमजन को उक्त अभियान के प्रति जागरूक करते हुए, ससम्मान तिरंगे को शान से फहराने के लिए प्रेरित किया गया।

■ सैंट रैफल्स हा से स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमे लगभग 100 छात्राओं ने भाग लेकर , अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर देशभक्ति और तिरंगे के विभिन्न रंगों को कागज पर उकेरा। इस दौरान स्कूल के बैंड द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर सभी को देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत कर दिया।

■ डेली कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (डी सी बी एम) मैं साइबर सेमिनार आयोजित किया गया 80 स्टूडेंट मौजूद रहे इन्हें फ्लैग और स्टीकर का वितरण कर 15 अगस्त को शान से अपने घरों पर व आसपास में झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया।

■ द लायंस इंटरनेशनल स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें 90 स्टूडेंट ने भाग लेकर देशभक्ति से संबंधित पेंटिंग्स बनाकर सभी को देशप्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश दिया।

■ श्री समाधान पब्लिक स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 70 स्टूडेंट ने भाग लिया और सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाकर, हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी को सम्मान के साथ झंडे को फहराने के लिए प्रेरित किया।

■ नूतन हाई सेकेंडरी स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता में 60 और रंगोली प्रतियोगिता में 8 स्टूडेंट ने भाग लिया। स्टूडेंट को तिरंगे झंडे वितरित कर, 15 अगस्त को शान से अपने घरों पर झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनांतर्गत कृषकों को राशि अंतरित

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज बलराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनांतर्गत प्रदेश के लाभांवित कृषकों को मण्डला जिले से वर्चुअल राशि का वितरण किया गया। उप संचालक कृषि श्री सी.एल. केवड़ा ने बताया कि इन्दौर जिले में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लाभांवित 75 हजार 532 कृषकों को 15.1064 करोड़ रुपए की राशि कृषकों के खातों में अंतरित की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय इंदौर में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट वर्चुअल शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रतिनिधिगण एवं उप संचालक कृषि श्री सी.एल.केवडा, अधिकारी के साथ-साथ विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में जिले के प्रगतिशील कृषक उपस्थित थे।

जिला चिकित्सालय इंदौर में आज से हुई सीटी स्कैन सेवाओं की शुरूआत

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड



इंदौर के जिला चिकित्सालय में आज से सीटी स्कैन सेवाओं की शुरूआत हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि सीटी स्कैन टीम द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जायेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ माधव प्रसाद हासानी, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. जी. एल. सोढ़ी, डॉ. संतोष वर्मा, अस्पताल प्रबंधक श्री प्रग्नेश भट्ट, आरएमओ डॉ. सतीश नीमा सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के हितग्राहियों की समस्याओं एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु अपर कलेक्टर श्री रोशन राय की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विगत बैठक की प्रगति की विभागवार समीक्षा कर समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपर कलेक्टर श्री राय ने स्कूल शिक्षा विभाग के जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया कि इस समुदाय के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में प्रवेश के समय ही प्राथमिकता के साथ समग्र, आधार एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाये जाने की कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार इस संबंध में ई-गवर्नेंस मैनेजर को चिन्हित विमुक्त ग्रामों में आधार कार्ड बनाने हेतु शिविर लगाने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सिंहासा के प्रतिनिधियों ने ग्राम के हाई स्कूल को हायर सेकेन्ड्री स्कूल में प्रोन्नत करने की मांग की गई। अपर कलेक्टर द्वारा शिक्षा विभाग को प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देशित किया गया। स्वरोजगार योजना के लक्ष्य पूर्ण करने एवं रोजगार मेला का आयोजन किये जाने के संबंध में सहायक संचालक विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित विभाग से समन्वय कर शिविरों का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें।

13 शातिर बदमाशों के विरुद्ध, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी



इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 08 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर, अन्य 05 शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है। आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे आरोपी- 1. समीर उर्फ सेंडी पिता रफीक उम्र 35 साल निवासी काली पुलिया के पास थाना आजाद नगर इंदौर 2. रिजवान उर्फ मामा पिता अब्दुल रऊफ अब्बासी उम्र 27 वर्ष निवासी चार नल चौराहा चश्मे वाले डाक्टर के पास थाना आजाद नगर इंदौर 3. तबरेज उर्फ गबरू पिता मीर जाहिद अली उम्र 45 वर्ष निवासी 5/1 जूना रिसाला थाना सदर बाजार इंदौर, 4. इसरार उर्फ गब्बा पिता बाबू शाह उम्र 27 वर्ष निवासी गांधी ग्राम खजराना थाना खजराना इंदौर 5. लवीन उर्फ भूपेन पिता राजेंद्र सावलकर उम्र 40 वर्ष निवासी 12/1 जवाहर नगर देवास हाल 126 सी सांई छत्र अपार्टमेंट थाना राजेंद्र नगर इंदौर, 6. राज उर्फ लल्ला उर्फ चंद्रशेखर पिता संतोष प्रजापति उम्र 25 वर्ष निवासी 605 गोविंद नगर थाना बाणगंगा इंदौर 7. आकाश पिता संजय चौहान उम्र 26 वर्ष निवासी 194 बीके हरिजन कालोनी थाना जूनी इंदौर 8. अजय उर्फ अज्जू पिता मुन्नालाल छपरेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम माचला थाना तेजाजी नगर इंदौर इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न धाराओं के कई अपराध शहर के थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हिन्दू धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी, जान से मारने की धमकी... पावर हाउस हेल्पर और टीम पर हमला

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड



औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस-प्रशासन की नींद नहीं टूटी। ताजा मामला धार रोड स्थित नट कॉलोनी निवासी चेतन शर्मा का है, जो एमपीईबी पावर हाउस में हेल्पर के पद पर कार्यरत हैं।

घटना दिनांक – 07 अगस्त 2025, शाम 5 बजे चेतन शर्मा अपने लोडिंग रिक्शा (क्रमांक एमपी09एएम4970) से सहयोग नगर क्षेत्र में उपभोक्ताओं की शिकायत समाधान करने जा रहे थे। उनके साथ कार्य पर जा रहे सहयोगी अंकित चौहान, अंकित पद्रे, रिजवान खान और वाजिद अली भी मौजूद थे। तभी अचानक, सानू नामक युवक ने अपनी रिक्शा से चेतन के रिक्शा के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर पर सवाल उठाने पर सानू ने गाली-गलौज शुरू कर दी और टीम को धमकाते हुए कहने लगा मेरे मोहल्ले में एक भी हिन्दू व्यक्ति नहीं घुसना चाहिए सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हिन्दू धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए चेतन को जान से मारने की खुली धमकी दी।

एफआईआर दर्ज, लेकिन कार्रवाई शून्य

चेतन शर्मा और उनके सहयोगी तत्काल संबंधित थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई, जिसकी कॉपी भी चेतन के पास मौजूद है। मामले की जांच का जिम्मा रिपोर्टिंग अधिकारी योगेश कुमार बैरागी को सौंपा गया, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई।

लगातार आ रही धमकी भरी कॉल्स

इस बीच चेतन शर्मा को लगातार नए नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। धमकी देने वालों में सोनू का भाई राजा भी शामिल है, जो राजीनामा करने का दबाव बना रहा है और इंकार करने पर जान से मारने की बात कह रहा है। चेतन ने 6261952083 नंबर से मिली धमकियों का भी खुलासा किया।

चेतावनी – भविष्य में होने वाली किसी भी वारदात के जिम्मेदार यही आरोपी– चेतन शर्मा ने प्रशासन को लिखित में चेतावनी दी है कि भविष्य में एमपीईबी के किसी भी कर्मचारी या खुद उनके साथ अगर कोई गंभीर घटना होती है, तो इसका जिम्मेदार सानू और उसके साथी होंगे। इस घटना के बाद एमपीईबी कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों में रोष है। उनका कहना है कि अगर एफआईआर के बाद भी आरोपी खुले घूमते हैं तो इससे गुंडों के हौसले और बढ़ेंगे।

इंदौर के चार मेडिकल स्टोर्स को किया गया सील

इंदौर। इंदौर फामेर्सी अधिनियम 1948 के प्रावधानों, फामेर्सी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अध्याय 7 व 8 तथा मध्यप्रदेश फामेर्सी काउंसिल की सार्वजनिक सूचना के उल्लंघन पाये जाने पर जिला प्रशासन के अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत चार मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया है। एडीएम श्री रोशन राय के निर्देशन में आज समस्त औषधि निरीक्षकों द्वारा दुकानों का निरीक्षण कराया गया। इसमें फामेर्सी अधिनियम 1948 के प्रावधानों एवं फामेर्सी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अध्याय 7 व 8 के उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर तत्काल हेल्थ केयर फामेर्सी मेघदूत स्क्वायर, अतुल्य मेडिफार्मा विजय नगर, मेडिमार्ट मेडिकल एजेन्सी स्कीम नं. 54, यशोदा फार्मोनिक्स विजय नगर को सील किया गया।

ALFAVISION OVERSEAS (INDIA) LIMITED

CIN : L67120MP1994PLC008375

Registered office :135, Old Gauri Nagar, Indore MP 452010 IN

Contact No.:0731-2993649, Email Id: alfavision@rediffmail.com Website :www.alfavisionoverseasindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE,2025

(Rupees in Lakhs except EPS)

SR. No.	Particulars	STANDALONE Quarter Ended 30.06.2025 Un-audited	Quarter Ended 31.03.2025 Audited	Quarter Ended 30.06.2024 Un-audited	Year Ended 31.03.2025 Audited
1	Revenue from Operations	132.97	0.00	96.98	190.60
	Other Income	0.00	0.00	0.00	1.60
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8.92	-8.30	8.65	12.18
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.92	-8.30	8.65	12.18
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.92	-8.30	8.65	12.18
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after tax)	8.92	-8.30	8.65	12.18
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.1/-)	315.26	315.26	315.26	315.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)				
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	0.03	-0.03	0.03	0.04
	2. Diluted:	0.03	-0.03	0.03	0.04

Notes :

1. These Financial Results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS)as prescribed under Section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 relevant amendment rules thereafter. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange webiste www.bseindia.com and on the company's website www.alfavisionoverseasindia.com
2. The above unaudited Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14h August,2025.
3. The Company operates in One Segment i.e. "Organic Farming". Hence no separate segment disclosures as per IND AS - 108; operating segments have been presented as such information is available in the statement .
4. The figures of the quarter ended 31st March, 2025 are balancing figures between Audited figures in respect of the full Financial Year ended 31st March, 2025 and the Unaudited published year to date figures upto 30th June , 2024 which were subject to Limited Review.
5. Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd /-
VISHNU PRASAD GOYAL
DIRECTOR
DIN : 00306034

Place : Indore (M.P.)
Dated : 14.08.2025